न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश	
	वाद सं0 एम0 41/2021–22 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत। **प्रथम पक्ष** – कैलास साहु ...... बगैरह। **बनाम** **द्वितीय पक्ष** – लगन तोपनो ......बगैरह।	
04/3/22	वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, कामडारा के अप्राथमिकी सं0 12/2021 दिनांक 21/12/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) कैलास साहु उम्र 47 वर्ष पिता रामु साहु (2) हरीशंकर साहु उम्र 52 वर्ष पिता स्व0 रामलोचन साहु (3) कुंती देवी उम्र 47 वर्ष पति स्व0 सुरेन्द्र साहु ग्राम अम्मा पखना थाना तोरपा जिला खुटी **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) लगन तोपनो उम्र 33वर्ष पिता स्व0 बड़िया मुण्डा (2) बड़िया मुण्डा उम्र 47 वर्ष पिता स्व0 मंगरा मुण्डा (3) भरमु मुण्डा उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 कमल मुण्डा (4) लोढ़ा मुण्डा उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 कमल मुण्डा (5) सुखराम बारला उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 सुखराम मुण्डा (6) बुधनाथ बारला उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 सुखराम मुण्डा (7) जगन तोपनो उम्र 44 वर्ष पिता जेठु तोपनो (8) भाटु तोपनो उम्र 35 वर्ष पिता दीना बारला (9) भिखु तोपनो उम्र 44 वर्ष पिता करमा मुण्डा (10) ईसाक पुर्ति उम्र 55 वर्ष पिता अनदिरियस पुर्ति (11) रशिका मुण्डा उम्र 35 वर्ष पिता स्व0 लोढो तोपनो सभी आरेमेजा थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा ओरमेंजा के खाता सं0 01, 02 प्लॉट सं0 177,178, 179, 224, 225/374, 237, 238, 239, 240, 256, 357, 358 कुल रकबा 9.92 एकड़ भूमि चौहदी उत्तर में भगुरी तोपनो का रैयती जमीन, दक्षिण में जेठु तोपनो का रैयती जमीन, पूरब मे खेल मैदान पश्चिम में लगन पहान पिता गंदुरा पाहन का रैयती जमीन में द्वितीय पक्ष के द्वारा बलपूर्वक अपने कब्जें में करने को लेकर विवाद एवं तनाव है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है, शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना बसिया द्वारा कि गया है। थाना प्रभारी कामडारा के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, कामडारा से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया। जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:– **प्रथम पक्ष की ओर उपस्थित** होकर अपना दाखिल किये है। उक्त वाद्गत भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कारण पृच्छा एवं भूमि संबंधी कागजात दाखिल नहीं किया गया है।	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

द्वितीय पक्ष उक्त वाद में अनुपस्थित रहे है।

उक्त वाद में प्रथम पक्ष केवल उपस्थित हुए है। पुलिस जॉच प्रतिवेदन मौजा ओरमेंजा के खाता सं0 01, 02 प्लॉट सं0 177,178, 179, 224, 225/374, 237, 238, 239, 240, 256, 357, 358 कुल रकबा 9.92 एकड़ भूमि से संबंधित है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित रहे है। उभय पक्षो के द्वारा न्यायालय में भूमि संबंधी कारण पृच्छा, कागजात दाखिल नहीं किये है। वाद की कारवाई समय अवधि में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की घटना की सूचना थाना कामडारा एवं अन्य स्रोत से अप्राप्त है। अतः धारा 144 द0 प्र0 स0 की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.08.24 13:07:38 +05:30
Location: 192.168.0.112